कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 18.12.2019

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/ SMC /2016–17/183

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :– आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग :– उप सचिव राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग राजस्थान,जयपुर का पत्रांक एफ 19/बाल आयोग/शिक्षा–प्रकोष्ठ/19–20/11828–29 दिनांक 03.12.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उप सचिव राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग राजस्थान,जयपुर के प्रासंगिक पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया है कि बाल संरक्षण आयोग की माननीया अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगणों की विभिन्न जिलो की यात्रा के दौरान पाया गया कि अनेक निजी/राजकीय विद्यालयों में SMC (विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिसके कारण बच्चों एवं अभिभावकों SMC सदस्यों की जानकारी नहीं मिल पाती। अतः इनके द्वारा आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति) की सूची को समस्त निजी/राजकीय विद्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के संबंध में लिखा गया है।

अतः इस संबंध में लेख है कि आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु पाबन्द कर इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उप सचिव राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग राजस्थान,जयपुर को प्रासंगिक पत्र के कम में।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन बाबत।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि शासन के निर्देशानुसार SMC (विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति) की सूची को शिक्षा विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।(संलग्न–उपरोक्तानुसार)
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

E:\Genral letter.docx

शा-45
(2002)

1400
5-12-19

DD (SCC) 182/C
2002
4/12/19

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

शिक्षा का अधिकार

राजस्थान सरकार

PS/mail/1030/19
05/12/2019

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर ।
Tel./Fax.0141-2709319 Email – rscpcr@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 19 ( )/बाल आयोग/शिक्षा–प्रकोष्ठ/19–20/ 11828-29 दिनांक 3.12.19

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगणों की विभिन्न जिलों की यात्रा में निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि अनेक निजी/राजकीय विद्यालयों में SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिससे बच्चों व अभिभावकों को SMC सदस्यों की जानकारी नहीं हो पाती।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार आपसे निवेदन है कि आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को समस्त निजी/राजकीय विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करवाने का श्रम करावें।

उप सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर